केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुस्मारक-1

सीबीएसई/एलओसी/X-XII/2024-2025/ दिनांक: 12.09.2024

सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों
के प्रधानाचार्य/प्रमुख
(सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से)

विषय: अनुस्मारक- स्कूलों, छात्रों और अभिभावकों को अभ्यर्थियों की सूची (एलओसी) में सही छात्रडाटा और विषय प्रस्तुत करने के लिए सावधानी- के संबंध में

महोदया/महोदय,

सीबीएसई इस पत्र के माध्यम से सभी संबंधितों अर्थात स्कूलों, प्रबंधन, प्रधानाचार्यों, छात्रों और उनके उनके अभिभावकों को छात्रों के डेटा और कक्षा X और कक्षा XIIके लिए एलओसीमें उनके द्वारा दिए गए विषयों को और कक्षा IX एवं XI के लिए पंजीकरण के विवरण को सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए सूचित सूचित करता है। साथ ही, अनुदेशों का अनुपालन न करने के परिणामों के बारे में भी बताया जा रहा है क्योंकि एलओसीऔर पंजीकरण जमा करने के बाद कोई सुधार नहीं किया जाएगा।

सीबीएसई ने दिनांक 04/09/2024 को एक परिपत्र जारी कर स्कूलों, छात्रों और अभिभावकों को एलओसी में सही छात्र डेटा सावधानीपूर्वकप्रस्तुत करने के बारे में सचेत किया है। इस अनुस्मारक में उक्त परिपत्र में साझा की गई जानकारी को दोहराया जाता है कि:-

- एलओसी जमा करने के बाद किसी भी विषय में सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। एलओसीमें एक एक बार प्रस्तुत किया गया डेटा अंतिम माना जाएगा।
- यदि कोई छात्र/स्कूल अपने विषयों में सुधार/परिवर्तन करना चाहता है, तो सुधार केवल पूरक परीक्षाओं के लिए परीक्षा आयोजित होने के बाद किया जाएगा। ऐसे छात्र उन विषयों में मुख्य परीक्षा परीक्षा में बैठने या न बैठने का निर्णय ले सकते हैं, जिन्हें उन्होंने एलओसीमें प्रस्तुत किया है। उनके उनके परिणाम बोर्ड के परीक्षा उपविधियों के अनुसार घोषित किए जाएंगे। बोर्ड के ये निर्णय कक्षा X में में गणित (मानक)/गणित (बेसिक) सहित सभी विषयों में लागू किए जाएंगे।
- एलओसी जमा करने से पहले स्कूल को सटीक जानकारी होनी चाहिए। एलओसी में छात्रों का डेटा प्रस्तुत करने से पहले स्कूलों को अभिभावकों से भरे गए डेटा पर सहमति/हस्ताक्षर प्राप्त करने चाहिए।

अत:, सभी स्कूलों के प्रमुखों/प्रधानाचार्यों को एक बार पुन: निदेश दिया जाता है कि वे एलओसी में सही छात्र डेटा और विषयों को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि:-

क. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालयो को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्कूलों को यह अनुस्मारक भेजने के अनुरोध सहित ।

ख. सीबीएसई वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित वेब प्रशासक को प्रतिलिपि।